न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/66/2024 रजू दिनांकः 15.04.2024 रजि0 न0 2024/102

अपीलार्थीः–

श्री नीरज कुमार मीना पुत्र रामावतार मीना, निवासी नियर संतोषी माता मन्दिर, तसींग रोड़ बहरोड़, जिला कोटपुतली–बहरोड़ 301701 (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 13.05.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आए तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/620 दिनांक 22.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि Online RTI Portal पर सूचना आवेदन सं0 293214929885632 दिनांक 26.03.2024 के संबंध में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय–पत्र सं0 514 दिनांक 03.04.2024 एवं Online RTI Portal Despatch No. 2133485912 Date: 04-04-2024 पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत चरित्र सत्यापन के संबंध में इस लोक सूचना अधिकारी स्तर पर उपलब्ध सूचना से अवगत कराया जा चुका है, सत्यापन रिपोर्ट की प्रति गोपनीय दस्तावेज होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ड) एवं धारा 8(1)(छ) के आलोक में उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित कि
7. या जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)